न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 63/2016

1 रामसहाय पुत्र चुनाराम मृतक।
1/1 पूर्ण पुत्र रामसहाय।
1/2 छीतर पुत्र रामसहाय।
1/3 महासिंह पुत्र रामसहाय समस्त जाति गुर्जर निवासीगण हीरानगर तन नीमकाथाना जिला सीकर।
1/4 बनारसी पुत्री रामसहाय पत्नी शैतानसिंह।
1/5 कविता पुत्री रामसहाय पत्नी हरीश समस्त जाति गुर्जर निवासीगण खेतड़ी नगर जिला झुंझुनू।
2 ग्यारसी पत्नी बन्शी।
3 झाबरमल पुत्री बन्शी।
4 मोतीराम पुत्री बन्शी मृतक समस्त जाति गुर्जर निवासीगण हीरानगर तन नीमकाथाना जिला सीकर।
4/1 श्रीमती नानची पत्नी मोतीराम।
4/2 योगेश पुत्र मोतीराम।
4/3 सुभाष पुत्र मोतीराम।
4/4 मनीषा पुत्री मोतीराम।
4/5 सुनिता पुत्री मोतीराम समस्त नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती नानची पत्नी मोतीराम गुर्जर निवासीगण हीरानगर तन नीमकाथाना जिला सीकर।
5 शीशराम पुत्र बन्शी।
6 मालाराम मृतक।
6/1 श्रीमती मनकोरी स्त्री मालाराम।
6/2 गिरधारी पुत्र मालाराम।
6/3 सरदाराराम पुत्र मालाराम।
6/4 जयराम पुत्र मालाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6/5 रामनिवास पुत्र मालाराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण हीरानगर तन नीमकाथाना जिला सीकर।
6/6 सुशीला पुत्री मालाराम पत्नी बनाराम निवासी साकड़ा की ढ़ाणी खेतड़ी नगर जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश शर्मा मृतक।
1/1 श्रीमती परमेश्वरी पत्नी जगदीश शर्मा।
1/2 मनोहर पुत्र जगदीश शर्मा।
1/3 कमलेश पुत्र जगदीश शर्मा।
1/4 सुशीला पुत्री जगदीश शर्मा
1/5 सुरेश पुत्री जगदीश शर्मा समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण बस स्टेण्ड के पास लाल पहाड़ी झुंझुनू।
2 मदनलाल मृतक।
2/1 अंगूरी देवी पत्नी मदनलाल।
2/2 रमेश पुत्र मदनलाल।
2/3 कृष्णा पुत्री मदनलाल।
2/4 पुजा पुत्री मदनलाल।
3 ओमप्रकाश पुत्र बसन्तीलाल।
4 लक्ष्मीकान्त पुत्र बसन्तीलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण हीरानगर तन नीमकाथाना जिला सीकर।
5 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 18.04.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना बसिलसिले दावा उनवानी रामसहाय आदि बनाम जगदीश आदि दावा संख्या 89/2004 जिसके द्वारा अपीलांट/वादीगण का दावा खारिज किया गया अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अपील संख्या 14/2003

1 रामसहाय पुत्र चुनाराम मृतक।
1/1 पूर्ण पुत्र रामसहाय।
1/2 छीतर पुत्र रामसहाय।
1/3 महासिंह पुत्र रामसहाय समस्त जाति गुर्जर निवासीगण हीरानगर तन नीमकाथाना जिला सीकर।
1/4 बनारसी पुत्री रामसहाय पत्नी शैतानसिंह।
1/5 कविता पुत्री रामसहाय पत्नी हरीश समस्त जाति गुर्जर निवासीगण खेतड़ी नगर जिला झुंझुनू।
2 ग्यारसी पत्नी बन्शी।
3 झाबरमल पुत्री बन्शी।
4 मोतीराम पुत्री बन्शी मृतक समस्त जाति गुर्जर निवासीगण हीरानगर तन नीमकाथाना जिला सीकर।
4/1 श्रीमती नानची पत्नी मोतीराम।
4/2 योगेश पुत्र मोतीराम।
4/3 सुभाष पुत्र मोतीराम।
4/4 मनीषा पुत्री मोतीराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

4/5 सुनिता पुत्री मोतीराम समस्त नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती नानची पत्नी मोतीराम गुर्जर निवासीगण हीरानगर तन नीमकाथाना जिला सीकर।

5 शीशराम पुत्र बन्शी।

6 मालाराम मृतक।

6/1 श्रीमती मनकोरी स्त्री मालाराम।

6/2 गिरधारी पुत्र मालाराम।

6/3 सरदाराराम पुत्र मालाराम।

6/4 जयराम पुत्र मालाराम।

6/5 रामनिवास पुत्र मालाराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण हीरानगर तन नीमकाथाना जिला सीकर।

6/6 सुशीला पुत्री मालाराम पत्नी बनाराम निवासी साकड़ा की ढ़ाणी खेतड़ी नगर जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश शर्मा मृतक।

1/1 श्रीमती परमेश्वरी पत्नी जगदीश शर्मा।

1/2 मनोहर पुत्र जगदीश शर्मा।

1/3 कमलेश पुत्र जगदीश शर्मा।

1/4 सुशीला पुत्री जगदीश शर्मा

1/5 सुरेश पुत्री जगदीश शर्मा समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण बस स्टेण्ड के पास लाल पहाड़ी झुंझुनू।

2 मदनलाल मृतक।

2/1 अंगूरी देवी पत्नी मदनलाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2/2 रमेश पुत्र मदनलाल।
2/3 कृष्णा पुत्री मदनलाल।
2/4 पुजा पुत्री मदनलाल।
3 ओमप्रकाश पुत्र बसन्तीलाल।
4 लक्ष्मीकान्त पुत्र बसन्तीलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण हीरानगर तन नीमकाथाना जिला सीकर।
5 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 18.04.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना बसिलसिले दावा उनवानी रामसहाय आदि बनाम जगदीश आदि दावा संख्या 89/2004 जिसके द्वारा अपीलांट/वादीगण का दावा खारिज किया गया अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवकुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 18.01.2022

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 89/2004 में पारित निर्णय दिनांक 18.04.2016 के विरूद्व एवं मुकदमा नम्बर 214/1995 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2003 के विरूद्व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलीयों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा दावा बाबत घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1916,1917,1918,1919,1920,1921 वाके ग्राम नीमकाथाना बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय मे विवादित भूमि के सन्दर्भ में वाद संख्या 214/1995 एवं 89/2004 लम्बित थे। दावा संख्या 214/1995 को विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.02.2003 की आदेशिका मे यह अंकन करते हुये खारिज कर दिया कि वकील वादी दावे को नही चलाना चाहते है। इसके विरूद्व अपील संख्या 14/2003 प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित दावा संख्या 89/2004 को विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 18.04.2016 से आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किया है। इससे व्यथित होकर अपील संख्या 63/2016 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दावा संख्या 214/1995 की आदेशिका दिनांक 11.02.2003 में अंकित किया है कि वकील वादी दावे को चलाना नही चाहते है। विचारण न्यायालय का यह अंकन आधारहीन है। विचारण न्यायालय की आदेशिका पर वादी अपीलांट स्वंय अथवा उसके अधिवक्ता के हस्ताक्षर नही है। ऐसी स्थिति में यह नही माना जा सकता है कि वादी अपीलांट दावे को आगे चलाना नही चाहते है। फलतः विचारण न्यायालय का यह निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। दावा संख्या 89/2004 में प्रार्थीगण प्रतिवादीगण जगदीश वगैरह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत कर अंकन किया है कि पूर्व मे वादीगण का दावा संख्या 214/1995 दिनांक 11.02.2003 को खारिज हो चुका है। अतः पूर्व न्याय के सिद्वान्त से बाधित होने के कारण वाद वादी खारिज किया जावें। विचारण न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कर वाद संख्या 89/2004 को विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज किया है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय तथ्य यह है कि वाद संख्या 214/1995 विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का था, गुणावगुण पर निर्णित नही हुआ था, आदेशिका पर वादी अथवा उसके वकील के वाद आगे नही चलाने बाबत कोई हस्ताक्षर नही है एवं वाद संख्या 89/2004 घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है स्पष्ट है कि प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान लागु नही होते है। ऐसी स्थिति में वाद संख्या 89/2004 में पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में सम्यक विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसा निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि भूमि खसरा नम्बर 1916 से 1921 सम्पूर्ण का एक मात्र खातेदार बसन्तीलाल था जिसकी फौतगी पर बसन्तीलाल के वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज होना चाहिए था। संवत 2030 से 2033 में विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा बसन्तीलाल के वारिसान के नाम एवं 1/2 हिस्सा चुना व उसके वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई है जबकि पूर्व में इनका कोई नाम नही था। इस सन्दर्भ में तहसीलदार के यहां आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट पर उपखण्ड अधिकारी ने दुरूस्ती का आदेश दिया तब वादीगण अपीलांट ने दावा संख्या 214/1995 खारिज करवा लिया। विचारण न्यायालय के इस आदेश के विरूद्व बाजदायरी व अपील दोनों लम्बित है। इस वाद के उपरान्त पुनः दावा संख्या 89/2004 प्रस्तुत करने पर रेस्पोडेंट द्वारा आदेश 7 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर अपीलांट का दावा खारिज किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा दावा संख्या 214/1995 की आदेशिका दिनांक 11.02.2003 में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अंकित किया है कि वकील वादी दावे को चलाना नही चाहते है। विचारण न्यायालय का यह अंकन आधारहीन है। विचारण न्यायालय की आदेशिका पर वादी अपीलांट स्वंय अथवा उसके अधिवक्ता के हस्ताक्षर नही है एवं न ही पत्रावली पर वादी का ऐसा कोई प्रार्थना पत्र संलग्न है। ऐसी स्थिति में यह नही माना जा सकता है कि वादी अपीलांट दावे को आगे चलाना नही चाहते है। फलतः विचारण न्यायालय का यह निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। दावा संख्या 89/2004 में प्रार्थीगण प्रतिवादीगण जगदीश वगैरह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत कर अंकन किया है कि पूर्व मे वादीगण का दावा संख्या 214/1995 दिनांक 11.02.2003 को खारिज हो चुका है। अतः पूर्व न्याय के सिद्वान्त से बाधित होने के कारण वाद वादी खारिज किया जावें। विचारण न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद संख्या 89/2004 को विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज किया है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय तथ्य यह है कि वाद संख्या 214/1995 विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का था, गुणावगुण पर निर्णित नही हुआ था, आदेशिका पर वादी अथवा उसके वकील के वाद आगे नही चलाने बाबत कोई हस्ताक्षर नही है एवं वाद संख्या 89/2004 घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है स्पष्ट है कि प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान लागु नही होते है। ऐसी स्थिति में वाद संख्या 89/2004 में पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में सम्यक विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसा निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में गुणावगुण पर कोई निर्णय नही किया गया है। अपीलांट द्वारा पूर्व वाद संख्या 214/1995 स्वंय द्वारा खारिज करवाया गया हो। ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। ऐसी स्थिति में विवाद का निस्तारण गुणावगुण पर विधिक प्रकिया अनुसार निर्णित होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किये जाते है एवं दोनो प्रकरण समेकित कर विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त कर तनकी कायम कर, उभयपक्ष के साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर